

मुनेह कुमार

अमीतात प्राप्ति

दावा बाबत :- 53 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 73/2023

निर्णय दिनांक :- 26-05-23

वकील की ओर से वकील श्री विनोद श्रिविषा की व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री अमृत मोहता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/5/23 को मुझे शकुन्तला चौधरी उन्मुख अधिकारी नादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अन्विष्ट लोक अदालत की भावना से तबोनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री अमृत मोहता के खसरा म० 106 की प. 088 है धरानी व खसरा म० 655 है धरानी कुल 29.525 है डा खसरा विभाजन राजीनामा निम्नानुसार दिख जाता है -

श्री मुनेह कुमार धरानी 2.720 है प्रतिवादी अमीतात 3.925 है प्रतिवादी चन्द्रकला 1.138 है प्रतिवादी मुनीता 2.279 है खसरा म० 655/2 की 10.062 है, नजरी नमशा में पीते रंग अनुसारी प्रतिवादी अमीतात - खसरा म० 106/2 की 1.362 है नजरी नमशा के अनुसूप गुलाबी रंग के अनुसार।

प्रतिवादी व रामचन्द्र व सावरी - खसरा म० 655/1 की 7.844 है खसरा म० 106/1 की 1.362 है वदिसा काबत नजरी नमशा में 655/1 तात रंग के अनुसार, 106/1 डाले रंग के अनुसार।

प्रतिवादी हुषण कुमार 2.933 है प्रतिवादी गेहेह 2.933 है प्रतिवादी राजमत - 1.667 है - खसरा म० 655/3 की 7.533 है नीले रंग के अनुसार।

प्रतिवादी रामजीतात - खसरा म० 106/3 की 1.362 है नीले रंग अनुसार अमृतानुसार पत्राचार के दिसा पर बैठ रहन डी लपाना हरिह डहे डर राजस्व रिडॉड में अमत दराभर दिख जावे।

उक्त आदेश अन्त-अन्त वहन करेंगे।  
यह सर्व दिनांक 26/05/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सिद्धि प्रमारी  
सहायक कलेक्टर  
(आस्ट टेक) नादरा (अन्विष्ट लोक अदालत)  
उपखंड अधिकारी